बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

## सूचना

## कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों को वित्तीय सहायता

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में राज्य के कलाकारों की सहायता के लिए एक कल्याणकारी योजना कलाकार कल्याण कोष का प्रावधान है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के कलाकारों से निम्न प्रावधानों तथा नियमों के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता गंभीर रूप से बीमार, घायल अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कलाकार को स्वीकृत किये जाने हैं।
2. बीमार, घायल अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के संबंध में आवश्यक प्रमाण–पत्र एवं संदर्भित ~~अन्य~~ साक्ष्य देना अनिवार्य होगा।
3. कलाकार को अपने आवेदन में अपना नाम, फोटोग्राफ, पिता का नाम, स्थायी पता, दूरभाष (यदि हो) वार्षिक आय, कला के क्षेत्र में उपलब्धियों तथा अनुदान के प्रायोजन को स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
4. आवेदन–पत्र के साथ उपलब्धियों की छायाप्रति, चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तथा वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अनुदान की अनुशंसा इसके निमित गठित समिति द्वारा की जायेगी। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. सरकारी कर्मी को इस कल्याण कोष का लाभ नहीं मिलेगा।
7. कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं फरवरी माह में बैठक आयोजित किये जायेंगे।
8. कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। दिनांक– **30.12.2011** तक प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विचार किये जायेंगे तथा इसके उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर उपर्युक्त कंडिका–7 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जायेगी।
9. एक वित्तीय वर्ष में एक कलाकार को एक ही बार अनुदान स्वीकृत किया जायेंगा।
10. आवेदन–पत्र सभी साक्ष्य व अन्य कागजातों के साथ निदेशक, सांस्कृतिक कार्य कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को भेजा जाय।

( विनय कुमार )
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक :– 2/स0 का0–03–42/06 ................../ पटना, दिनांक ............. दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन संपर्क विभाग बिहार, पटना को 08 (आठ) अतिरिक्त प्रतियों एवं एक सी0 डी0 सहित इस अनुरोध से साथ प्रेषित कि इसे राज्य के सभी दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

( विनय कुमार )
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।